राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प. क. सेवायें, राजस्थान जयपुर

F 21/ NRHM/ ASHA-4/ 2011-12/ 5096 Date: 3/7/12

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले।
2. अति./उप–मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले।

विषय :–आशा सहयोगिनी द्वारा जन्म अन्तराल को सुनिश्चित करने पर प्रेरक राशि दिये जाने के क्रम में।

सन्दर्भ :– स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का डी.ओ. क्रमांक 11012/ 11/2012–FP दिनांक 31 मई 2012 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विस्तृत दिशा निर्देश संलग्न कर लेख है कि भारत सरकार द्वारा परिवार नियोजन साधनों के उपयोग को बढ़ाने के लिये आशा सहयोगिनी द्वारा जन्म अन्तराल को सुनिश्चित करने हेतु एक नवीन योजना शुभारम्भ किया गया है। योजना के तहत आशा सहयोगिनी द्वारा निम्नलिखित कार्य किये जाएगें जिसके एवज में अग्रलिखित प्रेरक राशि देय होगी –

- नव विवाहित दम्पत्तियों को विवाह के दो वर्ष तक अन्तराल साधनों के उपयोग हेतु प्रेरित करने पर आशा सहयोगिनी को प्रत्येक दम्पत्ति 500 रुपये की प्रेरक राशि दो वर्ष के पश्चात देय होगी।
- पहले एवं दूसरे बच्चे के बीच तीन वर्ष का अन्तर सुनिश्चित करने पर आशा सहयोगिनी को प्रत्येक दम्पत्ति 500 रुपये की प्रेरक राशि तीन वर्ष के पश्चात देय होगी।
- आशा सहयोगिनी द्वारा प्रेरित कर दो बच्चो के उपरान्त महिला नसबन्दी/पुरुष नसबन्दी करवाये जाने पर प्रत्येक दम्पत्ति 1000 रुपये।

शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र की आशा सहयोगिनियों के लिये योजना समान रुप से लागू होगी। योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर परियोजना निदेशक (परिवार कल्याण) जिला स्तर पर अति./उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) एंव ब्लॉक स्तर पर खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे।

योजना के तहत दी जाने वाली प्रेरक राशि का भुगतान RCH Flexipool से किया जायेगा।

संलग्न– योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश।

मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क.विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क.मंत्रालय, दिल्ली को उनके पत्र क्रमांक D.O. No. N-11012/11/2012 दिनांक 31 मई 2012 के संवंध में।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, मिशन निदेशक (एनआरएचएम), जयपुर।
6. निदेशक–आर.सी.एच./जन स्वास्थ्य/आई.ई.सी.।
7. जिला कलेक्टर, समस्त जिले ।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त जिले।
9. संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग।
10. प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले।
11. सेन्ट्रल सर्वर रूम को संबंधित को मेल करने के लिये।
12. P.S. to PD-FW, NRHM

मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम.

आशा–सहयोगिनी द्वारा जन्म अन्तराल को सुनिश्चित करने हेतु दिशा–निर्देश

योजना का विवरण –

इस योजना के अन्तर्गत जन्म अन्तराल को सुनिश्चित करने हेतु आशा सहयोगिनीयों निम्न सेवायें देगी।

1. आशा सहयोगिनियॉ अपने कार्य क्षेत्र के नव विवाहित दम्पत्तियों को 2 वर्ष तक गर्भधारण नही करने हेतु परामर्श करेगी। यदि वह यह सुनिश्चित करती है तो उसे 2 वर्ष के पश्चात् प्रति केस रूपये 500/– की प्रेरक राशि देय होगी।
2. जिन दम्पत्तियों के पहले से एक बच्चा है उन दम्पत्तियों को दूसरे बच्चे के जन्म में 3 साल तक अन्तराल रखने हेतु प्रोत्साहित करने पर आशा–सहयोगिनी को 500/– रूपये प्रति केस प्रेरक राशि 3 वर्ष के पश्चात् देय होगा।
3. जिन दम्पत्तियों के 2 बच्चें है उन दम्पत्तियों को आशा–सहयोगिनी द्वारा स्थाई साधन अपनाने के लिये परामर्श देना। यदि आशा 2 बच्चों पर किसी दम्पत्ती को स्थाई साधन (पुरूष या महिला नसबन्दी) अपनाने के लिये प्रेरित करती है तो इसके लिये उसे 1000/– रूपये प्रति केस देय होगा।
4. यह योजना ग्रामीण एवं शहरी आशा–सहयोगिनीयों के लिये समान रूप से लागू होगी।

योजना का कियान्वयन –

1. यह योजना राज्य में 16 मई 2012 से लागू होगी।

योजना के अन्तर्गत दम्पत्तियों की पात्रता का आधार –

राज्य के सभी एपीएल (गरीबी रेखा से ऊपर)/बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे)/एससी (अनुसूचित जाति)/एसटी (अनुसूचित जनजाति) के योग्य दम्पत्ति इस योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होगे।

1. इस योजना के अन्तर्गत शादी के बाद 2 वर्ष तक जन्म अन्तराल रखने वाले वे ही दम्पत्ति पात्र होगें –
   (अ) जिनका विवाह भारत सरकार द्वारा योजना हेतु जारी अधिसूचना की दिनांक के बाद हुआ हो यथा 16 मई 2012 के बाद।
   (ब) वे दम्पत्ति जिनका विवाह भारत सरकार द्वारा योजना हेतु जारी अधिसूचना की दिनांक से पहले हो चुका हो परन्तु महिला ने 16 मई 2012 तक गर्भधारण नही किया हो।

(स) योजना के अन्तर्गत जिन नव विवाहित दम्पतियो ने 2 वर्ष का जन्म अन्तराल रखा है इसकी सत्यता का सत्यापन किया जावेगा। अतः इस हेतु विवाह पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा।

2. पहले बच्चे के बाद 3 वर्ष तक जन्म का अन्तराल रखने की स्थिति में पात्रता –

(अ) जिनके पहले बच्चे का जन्म भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की दिनांक यथा 16 मई 2012 अथवा उस दिनांक के बाद हुआ हो।

(ब) पहला बच्चा भारत सरकार की अधिसूचना के जारी होने से पहले पैदा हो चुका हो परन्तु भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की दिनांक यथा 16 मई 2012 के बाद वह महिला गर्भवती नही हुई हो।

(स) पहले बच्चे के बाद दम्पति ने 3 साल का जन्म अन्तराल रखा है, इसकी सत्यता का सत्यापन किया जावेगा। अतः इस हेतु बच्चे के जन्म का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।

3. स्थाई साधन अपनाने (महिला/पुरूष नसबन्दी करवाने) कि स्थिति में पात्रता –

(स) जिन्होनें भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की दिनांक यथा 16 मई 2012 के के बाद केवल 2 बच्चों पर स्थाई साधन अपनाया हों।

योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु विभिन्न स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की भूमिका –

राज्य स्तर – राज्य स्तर पर योजना के सफल क्रियान्वयन (मॉनिटरिंग) हेतु राज्य स्तर पर परियोजना निदेशक (परिवार कल्याण) नोडल अधिकारी होंगे।

जिला स्तर – जिला स्तर पर अति/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) नोडल अधिकारी होंगे।

1. जिला स्तर पर चिकित्सा अधिकारी प्रभारी व ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी को योजना के बारे में आमुखीकरण दिया जाना सुनिश्चित करे।
2. योजना के क्रियान्वयन व प्रगति की मॉनिटरिंग नियमित रूप से की जावेगी तथा नोडल अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत केस का सत्यापन किया जायेगा।
3. योजना के प्रचार प्रसार हेतु जिला स्तर के नोडल अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
4. योजना की प्रगति प्रत्येक माह संलग्न प्रपत्र – डी में भरकर राज्य स्तर पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

चिकित्सा अधिकारी की भूमिका :–

1. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा अधिकारी प्रभारी अपने कार्यक्षेत्र में योजना का प्रचार–प्रसार करवाना सुनिश्चित करवायेंगे।
2. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी द्वारा एएनएम/एलएचवी/पी.एच.सी हैल्थ सूपरवाईज़र और आशा सहयोगिनीयों को योजना का आमुखीकरण मासिक सेक्टर बैठक के दौरान करवाया जावें।
3. योजना के क्रियान्वयन व प्रगति की मॉनिटरिंग नियमित रूप से की जावे तथा प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत केस का सत्यापन किया जावे।
4. योजना की प्रगति प्रत्येक माह संलग्न प्रपत्र–सी में भरकर जिला/ब्लॉक स्तर पर भिजवाई जावे तथा योजना के क्रियान्वयन हेतु यदि अतिरिक्त फण्ड की आवश्यकता है तो उसकी मांग भी जिला एवं ब्लॉक स्तर पर भिजवाई जावेगी।

एएनएम/एलएचवी की भूमिका :–

1. एएनएम/एलएचवी द्वारा आशा सहयोगिनीयों के कार्य का ध्यानपूर्वक सुपरविजन करना।
2. आशा सहयोगिनी द्वारा तैयार किये गये योग्य दम्पत्ति रजिस्टर का सत्यापन करना।
3. आशा द्वारा प्रेरक राशि के लिए किये गये कार्य का सत्यापन करना।
4. आशा सहयोगिनी द्वारा सफलतापूर्वक परामर्श देकर जन्म अन्तराल हेतु प्रेरित किये गये दम्पत्तियों का रिकार्ड प्रपत्र – बी में संग्रहित कर इसे ब्लॉक/पीएचसी स्तर पर भिजवाना ।

आशा सहयोगिनी की भूमिका :–

1. आशा सहयोगिनी द्वारा सभी नवविवाहित जोड़ों की सूची तैयार की जावे तथा एएनएम व चिकित्सा अधिकारी द्वारा इसका सत्यापन करवाया जावे । आशा–सहयोगिनी द्वारा विवाह की तारीख को भी रजिस्टर में अंकित किया जावे तथा इसका सत्यापन विवाह पंजीयन प्रमाण में उल्लेखित दिनांक दिनांक के आधार पर किया जावे। इस हेतु विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. आशा सहयोगिनी योग्य दम्पत्तियों जिनके एक बच्चा है अथवा वह महिला प्रथम बार गर्भवती हुई हो, उन महिलाओं की सूची तैयार करें । इस सूची को एएनएम व चिकित्सा अधिकारी द्वारा सत्यापित करवायें । आशा–सहयोगिनी द्वारा जन्म की तारीख को भी रजिस्टर में अंकित किया जायेगा तथा इसके सत्यापन हेतु जन्म पंजीयन प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3. इसके अतिरिक्त आशा सहयोगिनी उन योग्य दम्पत्तियों जिनके दो बच्चें है अथवा जो महिला द्वितीय बार गर्भवती होने वाली हो उन महिलाओं की भी सूची तैयार करें तथा इस सूची को एएनएम व चिकित्सा अधिकारी द्वारा सत्यापित करवायें ।
4. आशा सहयोगिनी द्वारा उपरोक्त तीनो श्रेणीयो (नव विवाहित दम्पत्ति, वे दम्पति जिनके एक बच्चा है अथवा प्रथम बार गर्भवती हो, वे दम्पति जिनके दो बच्चे है अथवा दूसरी बार गर्भवती हो) के योग्य दम्पतियो को उनकी आवश्यकता अनुसार विभिन्न अन्तराल साधनों व स्थाई साधनो के फायदे बताते हुए उनको अपनाने का परामर्श दे।
5. आशा सहयोगिनी द्वारा निश्चय किट (गर्भ का पता लगाने की किट) के प्रयोग द्वारा महिला के गर्भधारण की स्थिति का पता लगाया जावे।
6. आशा सहयोगिनी उपरोक्त सभी सूचनाओं की जानकारी प्रपत्र–ए में भरकर चिकित्सा अधिकारी व एएनएम को प्रेषित करेगी तथा चिकित्सा अधिकारी व एएनएम द्वारा सूचनाओ के सत्यापन के बाद आशा सहयोगिनी को जन्म अन्तराल व स्थाई साधनो के लिए दिये जाने वाली प्रेरक राशि का भुगतान किया जावेगा।

वित्तीय प्रावधान

इस योजना के कियान्वयन के लिये फण्ड की उपलब्धता आर.सी.एच फ्लैक्सी पूल से की जायेगी। योजना कें लिये वित्तीय स्वीकृति राज्य स्तर से जिले को एवं जिला स्तर से ब्लॉक स्तर को दी जायेगी। इस हेतु वित्तीय प्रावधान निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखकर किया जावे –

1. पहले एएनएम/एलएचवी द्वारा यह सत्यापित किया जावे कि आशा ने महिला को निर्धारित समय सीमा तक अन्तराल साधन के उपयोग व दम्पति को स्थाई साधन हेतु परामर्श देकर इस कार्य मे सफलता प्राप्त कि है तभी आशा सहयोगिनी को भुगतान किया जावे।
2. आशा सहयोगिनी को मासिक सेक्टर बैठक के दौरान प्रेरक राशि का भुगतान किया जावे।
3. आशा सहयोगिनी को प्रेरक राशि का भुगतान चेक अथवा बैंक में सीधे हस्तांतरित करके ही किया जावे। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि किसी भी स्थिति में नकद भुगतान नही किया जावे।
4. आशा सहयोगिनी के भुगतान का रिकार्ड संधारण पीएचसी/ब्लॉक स्तर के लेखाकार द्वारा किया जावे और उसको निर्धारित बजट मद में बुक किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

रिपोर्टिंग एवं रिकार्ड संधारण हेतु प्रपत्र

प्रपत्र–ए :– आशा द्वारा रखी जाने वाली सूचना जो उपस्वास्थ्य केन्द्र/एएनएम को भेजी जायेगी–

क्र. सं.	महिला का नाम	महिला के योजना तहत् पंजीकृत होने की दिनांक	पता/दूरभाष नम्बर	आयु	विवाह की दिनांक	यदि महिला प्रथम बार गर्भवती है? (हां/नही)	प्रथम बच्चे की जन्म दिनांक	यदि महिला दूसरी बार गर्भवती है? (हां/नही)	दूसरे बच्चे की जन्म दिनांक
1									
2									
3									

प्रपत्र–बी :– एएनएम द्वारा रखी जाने वाली सूचना जो खण्ड कार्यक्रम प्रबन्धन ईकाई को भेजी जायेगी–

क्र. सं.	आशा का नाम	योजना के तहत पंजीकृत योग्य दम्पत्ति			योग्य दम्पत्तियों की संख्या जिनके विवाह पश्चात् प्रथम 2 वर्ष तक बच्चा नहीं हुआ है।	योग्य दम्पत्तियों की संख्या जिनके प्रथम एवं द्वितीय बच्चा के मध्य 3 वर्ष का अन्तर सुनिश्चित किया गया हो।	योग्य दम्पत्तियों की संख्या जिन्होनें प्रथम बच्चे के पश्चात् नसबन्दी कराई हो।	योग्य दम्पत्तियों की संख्या जिन्होनें द्वितीय बच्चा पश्चात् नसबन्दी कराई हो।	विशेष टिप्पणी
		योग्य दम्पत्तियो की संख्या जिनके कोई बच्चा नही है	योग्य दम्पत्तियो की संख्या जिनके एक बच्चा है।	योग्य दम्पत्तियो की संख्या जिनके दो बच्चा है।					
1									
2									
3									

प्रपत्र–सी :– सीएचसी/बीपीएमयू द्वारा रखी जाने वाली सूचना जो जिला स्तर पर भेजी जायेगी –

क्र. सं.	उप–स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	आशाओं की संख्या	योजना के तहत पंजीकृत योग्य दम्पत्ति			योग्य दम्पत्तियों की संख्या जिनके विवाह पश्चात् प्रथम 2 वर्ष तक बच्चा नहीं हुआ है।	योग्य दम्पत्तियों की संख्या जिनके प्रथम एवं द्वितीय बच्चा के मध्य 3 वर्ष का अन्तर सुनिश्चित किया गया हो।	योग्य दम्पत्तियों की संख्या जिन्होनें प्रथम बच्चे के पश्चात् नसबन्दी कराई हो।	योग्य दम्पत्तियों की संख्या जिन्होनें द्वितीय बच्चा पश्चात् नसबन्दी कराई हो। योग्य दम्पत्तियो की संख्या जिनके कोई बच्चा नही है	विशेष टिप्पणी योग्य दम्पत्तियो की संख्या जिनके एक बच्चा नही है"
			योग्य दम्पत्तियो की संख्या जिनके कोई बच्चा नही है	योग्य दम्पत्तियो की संख्या जिनके एक बच्चा है।	योग्य दम्पत्तियो की संख्या जिनके दो बच्चा है ।					
1										
2										
3										

प्रपत्र–डी :– जिलों द्वारा राज्य में भेजी जाने वाली सूचना का विवरण–

क्र. सं.	ब्लॉक की नाम	आशाओं की संख्या	योजना के तहत पंजीकृत योग्य दम्पत्ति			योग्य दम्पत्तियों की संख्या जिनके विवाह पश्चात् प्रथम 2 वर्ष तक बच्चा नहीं हुआ है।	योग्य दम्पत्तियों की संख्या जिनके प्रथम एवं द्वितीय बच्चा के मध्य 3 वर्ष का अन्तर सुनिश्चित किया गया हो।	योग्य दम्पत्तियों की संख्या जिन्होनें प्रथम बच्चे के पश्चात् नसबन्दी कराई हो।	योग्य दम्पत्तियों की संख्या जिन्होनें द्वितीय बच्चा पश्चात् नसबन्दी कराई हो। योग्य दम्पत्तियो की संख्या जिनके कोई बच्चा नही है	विशेष टिप्पणी योग्य दम्पत्तियो की संख्या जिनके एक बच्चा नही है"
			योग्य दम्पत्तियो की संख्या जिनके कोई बच्चा नही है	योग्य दम्पत्तियो की संख्या जिनके एक बच्चा है।	योग्य दम्पत्तियो की संख्या जिनके दो बच्चा है।					
1										
2										
3										